




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरु)

"राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 09.09.2023"

मन्नालाल बनाम राज. सरकार

प्रार्थना पत्र- अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट

न.मु.- 73/2023 जीसीएमएस संख्या- 2023/129

तारीख हुकम	हुकम की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर तारीख अहकाम इस हुकम व तामील जारी हुए										
09.9.2023	<p>यह प्रार्थना-पत्र भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थी श्री मन्नालाल पुत्र रामबक्स जाति जाट निवासी सुजानगढ़ जिला चूरु ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई।</p> <p>प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम गनोड़ा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 140 में मनालाल पुत्र रामबक्स जाति जाट निवासी सुजानगढ़ खातेदार दर्ज है। जो गलत है। प्रार्थी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार मन्नालाल पुत्र राम बक्स है। प्रार्थी का नाम मन्नालाल पुत्र राम बक्स किये जाने का आदेश फरमावें।</p> <p>प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही गनोड़ा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 140 में मनालाल पुत्र रामबक्स जाति जाट निवासी सुजानगढ़ खातेदार दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का नाम मन्नालाल पुत्र राम बक्स है जो शुद्ध किया जाना उचित है।</p> <p>प्रार्थना-पत्र राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत होने पर अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, दस्तावेजात, उपसभापति नगर परिषद सुजानगढ़ द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में रोही गनोड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 140 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं-</p> <table border="1"><thead><tr><th>क्रं. स.</th><th>ग्राम</th><th>खाता संख्या</th><th>वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)</th><th>आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>गनोड़ा</td><td>140 (नया)</td><td>मनालाल पुत्र रामबक्स जाति जाट निवासी सुजानगढ़ खातेदार</td><td>मन्नालाल पुत्र राम बक्स जाति जाट निवासी सुजानगढ़ खातेदार</td></tr></tbody></table> <p>राहिन की प्रविष्टि (अगर कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हसब जाब्ला दाखिल दफतर हो।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 09.09.2023 को लिखित जाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।</p> <p> <b>लोक अदालत</b> पैनल अधिकारी (सदस्य) सुजानगढ़ राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़</p> <p> <b>अध्यक्ष</b> <b>लोक अदालत</b> न्यायिक अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़</p> <p> <b>उपखण्ड अधिकारी</b> सुजानगढ़ रेवन्यू अधिकारी (सदस्य) राष्ट्रीय लोक अदालत सुजानगढ़</p>	क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)	01	गनोड़ा	140 (नया)	मनालाल पुत्र रामबक्स जाति जाट निवासी सुजानगढ़ खातेदार	मन्नालाल पुत्र राम बक्स जाति जाट निवासी सुजानगढ़ खातेदार	
क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)								
01	गनोड़ा	140 (नया)	मनालाल पुत्र रामबक्स जाति जाट निवासी सुजानगढ़ खातेदार	मन्नालाल पुत्र राम बक्स जाति जाट निवासी सुजानगढ़ खातेदार								